

नम्बर  
अहकाम  
हुकम की  
में ज

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

२५-५१६ पत्रावली आज पेशी में ली गई।  
पत्रावली दि० २२-६१६ को राजस्व लोक अदालत  
कैम्प बूचोलाई पर पेश हो।

  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी (स०मा०)

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प  
बूचोलाई पर पेश हुई। पक्षकारों ने राजीनामा  
इस आशय का पेश किया कि प्रकृपीय  
त्रुटि के कारण वादीगण को वाद वाफिस  
लेने व नया दवा पेश करने की अनुमति  
प्रदान की जावे।


शामल ६/११


हरि शंकर


प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया  
जाकर वादीगण को वर्तमान दावा वाफिस  
लेने व नवीन दावा पेश करने की अनुमति  
दी जाती है। पचा डिक्री जारी किया जावे।  
पत्रावली फैसल्य शुमार होकर नम्बर से कम  
हो एवं खाद तकमील दायिल्य दफ्तर हो।


रंजु जीनलाल

२१/१२-१९५१

  
(स्तीश कुमार शर्मा)  
एडवोकेट  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

  
(रवि कुमार शर्मा)  
एडवोकेट  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

  
(मुनिवेंकय्य)  
अध्यक्ष  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी  
एवं  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

  
श्री ० मदन  
किरणदेवी

## मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) बूचोलाई

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. रामसहाय पुत्र लोहडया बैरवा निवासी टोटोलाई तह0 गंगापुर सिटी
2. हरिशंकर पुत्र जगन बैरवा निवासी टोटोलाई तह0 गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. सोन्या पुत्र भैरो गुर्जर निवासी टोटोलाई तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
- 1/1 सुरजन पुत्र सोन्या गुर्जर निवासी टोटोलाई तह0 गंगापुर सिटी
- 1/2 मु. रतनी बेबा सोन्या गुर्जर निवासी टोटोलाई तह0 गंगापुर सिटी
- 1/3 मु. नर्वदा पुत्री सोन्या गुर्जर निवासी टोटोलाई तह0 गंगापुर सिटी
- 1/4 मु. कमला पुत्री सोन्या गुर्जर निवासी टोटोलाई तह0 गंगापुर सिटी
2. रामस्वरूप पुत्र मु0 रामप्यारी गुर्जर निवासी टोटोलाई तह0 गंगापुर सिटी
3. रामप्यारी पत्नी मनफूल गुर्जर निवासी टोटोलाई तह0 गंगापुर सिटी
4. मोहन पुत्र हजारी बैरवा निवासी टोटोलाई तह0 गंगापुर सिटी
5. किरण देवी पत्नी काशीराम बैरवा निवासी टोटोलाई तह0 गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 32/2010

वादी की ओर से वादी रामसहाय की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी सुरजन की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 22.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिकी दी जाती है कि

लोक अदालत में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे में प्रारूपित त्रुटि होने के कारण अपना दावा वापिस लेने हेतु एवं नया दावा प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया है। अतः वादीगण को वाद वापिस लेने की एव नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 22.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई



मुनिदेव यादव  
उपखंड अधिकारी  
गंगापुर सिटी

### वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. _____रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कनिश्चर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	